



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यलय अभ्युक्ति
19.04.2023	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-13/2023</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।</p> <p>शिकायतकर्ता का कहना है कि आयोग में वाद दायर करने के बाद उनकी समस्या का निदान कर दिया गया है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर आयोग वाद की कार्रवाई समाप्त करता है।</p> <p>आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।</p> <p style="text-align: center;"> (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> <p style="text-align: center;"> (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p>	